

वित्तीय समावेशन : प्रौद्योगिकी, संस्थाएं और नीतियां*

रघुराम जी. राजन

नासकॉम के गणमान्य सदस्य और सम्माननीय अतिथिगण : आज यहां व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित करने हेतु धन्यवाद ! आप भारतीय सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आपने भारत को बेहतरीन सेवाएं दी हैं, न केवल विश्वस्तरीय उद्योग का सृजन करके बल्कि अन्य हम जैसे लोगों को भी यह दिशा दिखाकर कि संभव क्या है। मुझे आशा है कि वित्तीय फर्म आपके साथ मिलकर प्रौद्योगिकीयुक्त वित्तीय-क्षेत्र का निर्माण करेंगी जो भारत में विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक कोने एवं छोर तक पहुंचेगा, बल्कि सीमा पार भी जाएगा। यह एक नया, अद्भुत भारतीय मॉडल होगा, वैसा ही जैसाकि आपने साफ्टवेयर अथवा मोबाइल-संचार में विकसित किया है। डॉ. नचिकेत मोर समिति की रिपोर्ट ने इन मुद्दों के बारे में रिजर्व बैंक को चिंतन करने के लिए काफी सामग्री दी है। मैं उन सिफारिशों के बारे में, बल्कि कुछ अन्य मुद्दों के बारे में भी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा।

वित्तीय समावेशन का सरोकार (ए) वित्तीय सेवाओं को बढ़ाकर उन लोगों तक पहुंचाना है जिनकी पहुंच वित्तीय सेवा क्षेत्र तक नहीं है; (बी) उन लोगों के लिए वित्तीय सेवाएं गहन बनाना जिन्हें कम-से-कम वित्तीय सेवाएं मिल रही हैं, और (सी) ज्यादा से ज्यादा वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण से है ताकि जिन लोगों को उत्पाद पेश किए जाएं वे उनमें से चयन कर सकें। वित्तीय समावेशन के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं, नैतिकता तथा दूसरी आर्थिक क्षमता। क्या हमें प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे उपकरण और संसाधन नहीं देना चाहिए जो उन्हें बेहतर जीवन प्रदान कर सके, और ऐसा करके क्या हम अपने देश को बेहतर नहीं बना रहे हैं ?

पिछले हफ्ते, मैंने इला भट्ट स्वरोजगार महिला एसोसिएशन (सेवा) के कुछ सदस्यों से मुलाकात की। एक कमरे में, जिसमें गरीब किंतु आत्मविश्वास से भरी हुई महिला उद्यमी मौजूद थीं, मैंने उनसे पूछा कि कितनी महिलाओं ने सेवा में आने से पहले साहूकारों से पैसा

उधार लिया था। उनमें से आधी महिलाओं ने हाथ उठाए थे। जब उनसे यह पूछा गया कि सेवा-कोऑपरेटिव बैंक में आने से पहले कितनों ने नियमित बैंकों के पास जाने के बारे में सोचा था, इसपर किसी ने हाथ नहीं उठाया। दिलचस्प बात यह थी कि, अनेक महिलाओं ने यह कहा कि सेवा से ऋण लेने के बाद वे साहूकारों की ऊंची ब्याज दरों से मुक्त हो गईं, जिससे उनके पास इतना पैसा हो गया कि वे सेवा से लिए गए ऋणों को पूरी तरह वापस कर सकीं और साथ ही अन्य उत्पादक गतिविधियों में भी लगी रह सकीं। मैंने यह बातें अन्य छोटे उद्यमियों से भी सुनी हैं। प्रारंभिक निवेश पर ज्यादा पैसा बचने से अक्सर वे साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। गरीबों को ऋण उपलब्ध करवाने से अत्यधिक प्रतिलाभ होने, तथा ऋण के बारे में हमारे वित्तीय समावेशन के जोरदार प्रयासों के बावजूद, हम अभी भी लक्ष्य आबादी के बहुत ही कम लोगों तक पहुंच सके हैं। इसलिए अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है।

हमने बीते दिनों में अधिदेश के माध्यम से समावेशन का प्रभाव डालने का प्रयास किया था चाहे वह निदेश के माध्यम से शाखा खोलना हो या फिर प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना रहा हो। लेकिन अभी भी हम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं और इस बात से कुछ आलोचकों ने सुझाव दिया है कि अधिदेश को त्याग दिया जाए क्योंकि बाजार की आवश्यकताएं स्वयं उसका ध्यान रख लेंगी, आलोचकों का कहना है कि यदि गरीबों को वित्तीय सेवाओं की जरूरत होगी तो उसे प्रदान करने के लिए सेवादाता स्वयं उत्पन्न होंगे। बाजार की प्रतिक्रिया आवश्यकताओं के अनुरूप होती है और स्पर्धा उसमें सुधार लाने के लिए बहुत ही मजबूत शक्ति होती है, किंतु यदि बुनियादी संरचना बेकार है, विनियमन नियमित नहीं है, प्राकृतिक या विनियामक एकाधिकार है और अनियमित उत्पादक-संघ है तो बाजार का संचालन प्रभावित होता है।

जहां हम उन स्पर्धात्मक शक्तियों को गिना रहे हैं जो जहां भी संभव हो कारोबारी पिरामिड की निचली सतह के लिए स्पर्धा कर सकें, वहीं एक विकासात्मक केंद्रीय बैंक के रूप में हमें भी उन्हें सहारा देने की जरूरत है। उपयुक्त बुनियादी सुविधाएं देकर, उपयुक्त विनियमन करके, हमें उत्पादों, संस्थाओं तथा नेटवर्कों के विकास को प्रोत्साहित करना है जिससे समावेशन में तेजी आएगी।

अब हम उत्पादों के बारे में बात करेंगे। हम कई दशकों से ऋण विस्तार की कोशिश कर रहे हैं। हमने भुगतान करने और धन-प्रेषण या पारिश्रमिक की बचत के तरीकों को बढ़ाने या आपात स्थितियों में बीमा की बातों को समझने पर बहुत कम ध्यान दिया है। शायद हमें इन

* डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर, भा.रि. बैंक क्षरा नासकॉम इंडिया फोरम, मुंबई में 12 फरवरी, 2014 को दिए गए व्याख्यान के मुख्य अंश।

उत्पादों को प्रोत्साहित करते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना चाहिए तथा इस बात की अनुमति देना चाहिए कि ऋण उनका अनुगमन करे न कि उनके आगे चले। वास्तव में, कई सफल संगठन गरीब से गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वे कुछ पैसा बचत के रूप में अलग रखें। हमारे कुछ स्वयं-सहायता समूह इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार की बचत की आदत एक बार हो जाने से ग्राहक न केवल चुकौती आसानी से कर सकेंगे बल्कि उससे उन्हें बेहतर ऋण-सुविधा प्राप्त हो सकेगी। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से शायद ग्राहक की बचत तथा भुगतान की आदतों का विश्लेषण यह बता सकता है कि उनमें से कौन सी आदत ऋण के लिए बेहतर हो सकती है।

एक बहुत बड़ी अड़चन यह है कि यहां तक कि सर्वत्र रूप से सामान्य बचत खाते को खोलने के लिए केवाईसी की अपेक्षाएं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य खाता खोलने के लिए इस अपेक्षा को काफी हद तक आसान बनाए जाने की जरूरत है और सुझाव दिया है कि कम से कम दस्तावेज मांगे जाने चाहिए। ऐसा करने के प्रयास के रूप में डॉ. नचिकेत मोर समिति ने सिफारिश की है कि केवल स्थायी पता का सुबूत लिया जाना चाहिए। यह तो रिजर्व बैंक के मौजूदा मानदंडों से भी दूभर काम है, जिसमें आवेदक को 50,000 रुपए से कम राशि के खाते के लिए अपना पता तथा अन्य ब्यौरे देते हुए स्वयं-प्रमाणित करने की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक के उपदेशों के बावजूद, कुछ बैंकों ने दस्तावेजों की मांग स्वयं कम कर दिया है - उनका डर है कि यदि कुछ गलत हो जाता है तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा, भलेही विनियामक मानदंड कुछ भी हों विशेष रूप से तीसरे पक्ष द्वारा केवाईसी प्रमाणन स्वीकार करना कठिन है।

आज, कठोर केवाईसी मानदंड के कारण बहुत से लोग बैंकिंग प्रणाली से दूर हैं, और कई लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। बैंक इन मानदंडों को सही अर्थों में अपराधियों एवं आतंकवादी गतिविधियों से बचने के बजाय विनियामक तथा कानूनी दायित्वों की वजह से ज्यादा अपनाते हैं। क्या हम इसे बेहतर नहीं बना सकते ? कुछ बैंकों का कहना है कि खातों की गतिविधियों पर ध्यान से नजर रखने पर, यहां तक कि सामान्य खातों पर कुछ सीमा रख देने से (जैसे बड़े मूल्य के चेकों को नकदीकरण किए जाने से पहले थोड़े दिनों के लिए रोक लेना) संदेहजनक गतिविधि का पता लगाया जा सकता है और उसे रोका जा सकता है। क्या हम वाणिज्य बैंक को छोटे मूल्य के खातों में छोटी-मोटी गलती होने के मामले में थोड़ा विनियामक छूट दे सकते हैं, बशर्ते कि बैंक में बड़ी गड़बड़ी का पता चलने की भरोसेमंद

प्रणाली लागू हो। क्या सुरक्षित खातों तक सहजता से बड़े पैमाने पर पहुंच से होनेवाला लाभ, छोटी-मोटी धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है ? व्यवस्था के भीतर संस्थाएं एक-दूसरे के केवाईसी पर भरोसा कैसे कर सकती हैं जब तक कि पूरी प्रक्रिया को लगातार न दोहरा लिया जाए ? इन मुद्दों को प्रौद्योगिकी के जरिये प्रभावी रूप से कैसे हल किया जा सकता है ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी जांच करनी होगी और उनका समाधान ढूंढना होगा।

एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि क्या हम परिमार्जित आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्राहकों को ऐसे उत्पाद उपलब्ध करवा सकते हैं जो साधारण हों, कम लागत के हों तथा इस्तेमाल में आसान हों। हमने ऐसा मोबाइल फोन से किया है, क्या हम इसे बैंकिंग में भी कर सकते हैं ? निःसंदेह भुगतान इस किस्म का दूसरा उत्पाद हो सकता है। हमने यह नोट किया है कि भारत में हमारी भुगतान सुविधाएं अत्यधिक उन्नत हैं। हमारे पास रिजर्व बैंक प्रौद्योगिकी के तीन बड़े केंद्र हैं जो भुगतान प्रणाली को सहारा देने के लिए समर्पित हैं। बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए हमारे पास आधुनिक वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में, हमारी संदेशजन्य खुदरा निधि अंतरण प्रणाली, में हम लगभग वास्तविक समय में लेनदेन की प्रोसेसिंग करते हैं। हम निरंतर बैंकों को संदेश भेजते रहते हैं, हालांकि निवल निपटान एक-एक घंटे के अंतराल पर होता है। हम, धान पाने वाले के खाते में पैसा जमा हो जाने के बाद धन भेजने वाले को उसकी सटीक पुष्टि भी भेजते हैं।

हमने समस्त ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए अभिप्रमाणन करने का एक अतिरिक्त कारक प्रारंभ किया है और तेजी से क्रेडिट कार्ड लेनदेन में चिप और पिन प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ रहे हैं। बैंक और क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर एसएमएस चौकसी सूचना स्वागत योग्य है और उन्नत व्यवस्था है यहां तक कि अमरीका की तुलना में भी, जहां चोर आपके क्रेडिट कार्ड से हजारों डालर का बिल आसानी से बना लेते हैं इससे पहले कि आपको पता चले कि आपका कार्ड चोरी हो गया है। इस सबका अर्थ यही है कि हमारे पास ऐसी बुनियादी संरचना है जिससे हम सस्ते और सुरक्षित भुगतान एवं धन-प्रेषण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि गैर-सरकारी खिलाड़ी इस बुनियादी संरचना का इस्तेमाल करें और ऐसे उत्पाद लाएं एवं ऐसी पहुंच बनाएं जैसाकि लोग चाहते हैं।

इस दिशा में पहले ही बहुत कुछ किया जा चुका है। एनपीसीआई द्वारा तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के माध्यम से वास्तविक

समय निधि अंतरण सुविधा ने मोबाइल बैंकिंग के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। आधार भुगतान सेतु प्रणाली (एपीबीएस) ने नागरिकों को दी गई विशिष्ट पहचान संख्या के इस्तेमाल से सरकारी लाभों को अंतरित करने की अनुमति दी गई है। किंतु अभी भी हमें मोबाइल से भुगतान या सीधा लाभ अंतरण के मामले में जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे हैं।

भारत में 900 मिलियन से अधिक मोबाइल फोन वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए मोबाइल बैंकिंग का जबरदस्त चैनल है और एक बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध कराते हैं। हमने मोबाइल बैंकिंग के लिए जानबूझकर बैंकजन्य मॉडल आनाया है, जबकि गैर-बैंक, मोबाइल नेटवर्क परिचालकों को मोबाइल वॉलेट जारी करने की अनुमति दी गई है किंतु अभी तक नकदी-आहरण की अनुमति नहीं दी गई है। एक सस्ते और सर्वत्र भुगतान करने एवं धन प्रेषित करने की चाबी वही होगी यदि हम बहुत बड़े व्यवसायी प्रतिनिधि के सर्वव्यापी नेटवर्क के माध्यम से एक ऐसा सुरक्षित तरीका निकाल सकें जिसके माध्यम से बैंक खातों एवं मोबाइल वॉलेट के बीच मुक्त रूप से निधि अंतरण करने तथा मोबाइल वॉलेट से धन निकालने की अनुमति दी जा सके। डॉ. नचिकेत मोर समिति ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भुगतान बैंक के सृजन का सुझाव दिया है। अन्य सुझाव हैं आंतरिक रूप से संचालित किए जाने योग्य व्यवसाय प्रतिनिधि जो दूरदराज के क्षेत्र में किफायती तरीके से सेवाएं प्रदान करेंगे तथा एनबीएफसी का बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में उपयोग करना। हम इन सबकी जांच करेंगे।

इस सबके बीच, बढ़िया समाधान निकल रहे हैं। नकदी निकालना धन-प्रेषण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में धन-प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है जिनकी पहुंच औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक नहीं है। हमने हाल ही में एक ऐसी भुगतान प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है जो बैंक खाता धारक के खाते से निधि को एटीएम के माध्यम से उन लोगों को अंतरित करना आसान बनाएगा जिनके पास खाते नहीं हैं। इसमें, प्रेषक के खाते से पैसा एटीएम के माध्यम से निकाला जा सकेगा। इसकी प्रक्रिया यह होगी कि भुगतान के संबंध में धन पाने वाले को उसके मोबाइल पर एक कूट संख्या भेजी जाएगी जिसकी सहायता से वह पैसा किसी भी नजदीकी बैंक के एटीएम से निकाल सकता है। इस प्रणाली में ग्राहक की पहचान, लेनदेन की वैधता, धन की बारंबारता आदि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। हमें अभी भी और भी नवोन्मेषी उत्पादों की जरूरत है, कुछेक उत्पाद मोबाइल कंपनियों भी प्रदान कर रही हैं।

भारत में, मोबाइल की संख्या बहुत अधिक होते हुए भी, सच्चाई यह है कि उनमें से ज्यादातर हैंडसेट बिल्कुल मामूली हैं और अनेक मोबाइल के कनेक्शन प्रीपेड हैं। यह बहुत बड़ी रुकावट है। भारतीय रिजर्व बैंक की मोबाइल बैंकिंग से संबंधित तकनीकी समिति ने सिफारिश की है कि मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों हेतु एक मानकीकृत एवं सरल पंजीकरण/प्रमाणन प्रक्रिया होनी चाहिए, एक संबद्धता जागरूकता कार्यक्रम हो, ग्राहकों के लिए सभी बैंकों में एक कामन अप्लीकेशन प्लेटफार्म हो भले ही ग्राहक किसी भी हैंडसेट का इस्तेमाल करता हो और इस प्रकार के लेनदेन में आवश्यक सुरक्षा (एन्क्रिप्शन के माध्यम से) के लिए एसएमएस तथा यूएसएसडी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता हो। भारती टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण ने इष्टतम सेवा पैरामीटर का निर्धारण किया है और टेलीकॉम परिचालकों द्वारा बैंकों एवं उनके एजेंटों को दी जानेवाली यूएसएसडी सेवाओं के लिए अधिकतम प्रभार भी निर्धारित किए हैं। हमारे पास बैंकों एवं टेलीकॉम सर्विस के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है कि वे मिलकर सभी प्रकार की मोबाइल बैंकिंग सेवाएं अपने ग्राहकों को बिना किसी मतभेद के सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराएं। अगले कुछ महीनों में हम इस संबंध में प्रमुख खिलाड़ियों के साथ बात आगे बढ़ाएंगे।

ऋण एक ऐसा उत्पाद है जिसके बारे में मैंने यह चर्चा प्रारंभ की है कि ऋण को भी सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिक का इस्तेमाल किया जा सकता है,, एमएसएमई को हमेशा उसके ढेर सारे खरीदारों द्वारा निचोड़ लिया जाता है, जो उसका भुगतान लम्बे समय के बाद करते हैं। यह सब कुछ बदलकर अच्छा हो सकता है यदि एमएसएमई अपने भारी संख्या में खरीदारों के दावों को बाजार में बेच सकें। इससे एमएसएमई को उसका पैसा शीघ्रता से वापस मिल सकेगा, जबकि बाजार को अच्छी साख वाले भारी संख्या में खरीदारों पर दावा प्राप्त हो सकेगा बजाय इसके कि दावे को एमएसएमई के स्तर पर रोक रखा जाए। भारी संख्या में खरीदारों को अपनी खरीद के लिए सही कीमत भी मिल सकती है। इन सबके लिए व्यापार-प्राप्तकर्ता एक्सचेंज की स्थापना करने की जरूरत है, जिसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक बाजार के सहभागियों से चर्चा करता रहा है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि मुख्य बात यह है कि लेनदेन के प्रत्येक पहलुओं को स्वतःचालित बनाते हुए लेनदेन की लागत कम की जाए ताकि छोटे से छोटे एमएसएमई को फायदा मिल सके।

खस्ताहाल और छोटे कारोबार के सामने कठिनाई यह है कि ऋण के संबंध में जानकारी उन तक पहुंचती ही नहीं है, दोनों ओर से

एक तो किस प्रकार से ऋण के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है और दूसरा यह कि ऋण देने के बाद ऋणदाता उनका मूल्यांकन कहां करेगा। यदि बचत और भुगतान के उत्पादों को बड़े पैमाने पर बेचा जाए और मोबाइल कंपनियों, उपयोक्ता कंपनियों, तथा सरकार को किए गए भुगतानों के साथ इसकी जानकारी एकत्रित की जाए तो जो लोग इससे वंचित हैं उनके संबंध में जानकारी का रिकार्ड बनाया जा सकेगा और यह ऋण तक उनके पहुंच बनाने में सहायक होगा। इसके अलावा, यदि नकारात्मक जानकारी को वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से उचित और जिम्मेदार तरीके से परस्पर बांटी जाए तो इससे प्रत्येक उधारकर्ता का कुछ न कुछ दांव पर जरूर लगेगा, उनकी बनी हुई साख, जो उन्हें समय पर चुकौती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके फलस्वरूप, बैंक भी धन उधार देने के लिए इच्छुक होंगे।

अंत में, मैं उपभोक्ता साक्षरता और सुरक्षा के बारे में बात करूंगा। जैसे-जैसे हम अधिक लोगों तक पहुंचते जा रहे हैं, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उन उत्पादों के बारे में जानें जो उन्हें हम बेच रहे हैं और उनके पास उसकी जानकारी हो ताकि वे समझदारी से निर्णय ले सकें। क्रेता को चेतावनी या क्रेता सावधान जैसे कुछ घिसे पिटे मानक वित्तीय बाजार में इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसा करना तब तक सही है जब तक क्रेता को बहुत अधिक गुमराह नहीं किया जाता है, और वह अपने उत्पाद के चयन एवं खरीदने का निर्णय लेने के प्रति जिम्मेदार होती है। यह प्रक्रिया क्रेता पर इस बात का दबाव डालती है कि वह अत्यधिक सावधानी बरते, इससे उसे इस बात की पूरी आजादी मिलती है कि वह अपनी पसंद का उत्पाद ले, हां इस बात की आजादी होती है कि वह खराब उत्पाद को भी पसंद कर ले।

किंतु जिन निवेशकों को बहुत कम जानकारी मिलती है और जो परिष्कृत नहीं होते हैं, उनके बारे में डॉ. नचिकेत मोर समिति की इस सिफारीश कि कौन सा उत्पाद किस प्रकार के निवेशक के लिए उपयुक्त रहेगा, इसके लिए कुछ दिशनिर्देश तय किए जाएं, पर विचार करना होगा। मोटे तौर पर, उत्पाद जितना मुश्किल होगा उतना ही परिमार्जित उसका ग्राहक होना चाहिए। क्या हमें ऐसे मानदंड बनाने चाहिए जो साधारण उत्पादों के लिए उपयुक्त हों और सभी में प्रचार के लिए पूर्व-अनुमोदित हों, लेकिन जैसे-जैसे उत्पाद जटिल होते जाते हैं, वित्तीय क्षेत्र के प्रदाता यह बताने के लिए इस बात की ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी लेने लगते हैं कि क्रेता भी विवेकी था और/या उसके क्रय से पहले उसे उपयुक्त रूप से परामर्श दिया गया था।

निःसंदेह, ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक उत्तर यही है कि उन्हें जानकार होना चाहिए। क्या प्रौद्योगिकी क्षेत्र, वित्तीय मामलों में लोगों

को शिक्षित करने में सहायता करेगा। जो भी हो, वित्त कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ज्यादातर लोग स्कूल में सीख लें, किंतु, यह ऐसी चीज है जिससे उनका सरोकार इस दुनिया में रोज ही पड़ता है। कम लागत पर किंतु उच्च गुणवत्ता के दूरस्थ वित्त शिक्षा की देश को सख्त जरूरत है और हम उद्यमियों से आशा करते हैं कि वे इसे प्रदान करने के लिए नए रास्ते ढूंढने पर विचार करेंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ। प्रौद्योगिकी, वित्त की पहुँच को अच्छे तथा बुरे दोनों उद्देश्यों के लिए बहुत आगे तक ले जा सकती है। आपमें से बहुत से लोगों को मेरी ओर से दिखाये गए ईमेल अकसर प्राप्त होते होंगे, जिनमें यह सूचना होती है कि एक बड़ी रकम भारतीय रिजर्व बैंक से आपको मिलने वाली है, और यह आग्रह किया जाता है कि आप अपने खाता के ब्योरे मुझे भेज दें ताकि मैं धन आपको अंतरित कर सकूँ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय रिजर्व किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देता है, मैं इस प्रकार के ईमेल नहीं भेजता हूँ, और यदि आप इस प्रकार के ईमेल का जवाब देते हैं तो आप एक बड़ी रकम इन धोखेबाजों के हाथों गंवा सकते हैं और इस संबंध में एक कहावत याद रखें, जो चीज देखने में सुंदर जैसी दिखाई देती है, संभवतः वह सुंदर होती नहीं है।

निश्चित ही, प्रौद्योगिकी इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने का उपाय हो सकती है। क्या हम सामाजिक मीडिया को इसके साथ जोड़ सकते हैं ताकि लोग धोखाधड़ी को पकड़ सकें और विनियमन में मदद कर सकें? एक बार फिर इस प्रकार के सवाल पैदा हो गए हैं, किन्तु मुझे उम्मीद है कि हम इसका जवाब अवश्य ढूंढ लेंगे।

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रौद्योगिकी ही वह प्रमुख कारक है जिसमें लेनदेन की लागत कम करने कि क्षमता है और वह बहुत बड़ी मात्रा में होने वाले हलके प्रकार के लेनदेन को संभव बना सकती है जो वित्तीय समावेशन के केंद्र में है। प्रौद्योगिकी बड़ी मात्रा में डाटा को एकत्र करके उसकी प्रोसेसिंग के माध्यम से वित्तीय संबंधी निर्णय लेने की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है। जब उत्पाद नेटवर्क से जुड़ जाएंगे तब प्रौद्योगिकी से न केवल आंतरिक परिचालन सुनिश्चित हो सकेगा, नेटवर्किंग के फायदे प्राप्त करने में इसकी भूमिका प्रमुख होगी, बल्कि सुरक्षा भी होगी, लोगों का विश्वास बना रहेगा और वे एक बार फिर औपचारिक वित्तीय प्रणाली से स्वयं को अलग नहीं कर पाएंगे। क्या यह सफल आईसीटी उद्योग भागीदार, वित्त उद्योग के साथ मिलकर इस देश में वित्तीय समावेशन की क्रांति ला सकेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा कर सकते हैं।